

NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

शुद्ध उधार सीमा [Net Borrowing Ceiling (NBC)]
को लेकर विवाद

www.nextias.com

शुद्ध उधार सीमा [Net Borrowing Ceiling (NBC)] को लेकर विवाद

सन्दर्भ

- केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई शुद्ध उधार सीमा (NBC) ने महत्वपूर्ण परिचर्चा और विवाद को उत्प्रेरित किया है, विशेष रूप से भारत में संघवाद और राजकोषीय स्वायत्तता के संदर्भ में।

पृष्ठभूमि

- 2023 में, केंद्र सरकार ने केरल राज्य पर शुद्ध उधार सीमा लागू कर दी, जिससे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इसकी उधार लेने की क्षमता उसके अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% तक सीमित हो गई।
- इसने केरल की वित्तीय स्थिति को काफी प्रभावित किया, जिससे राज्य के लिए अपने व्यय को पूरा करना और विकासात्मक एवं कल्याणकारी गतिविधियों में निवेश करना चुनौतीपूर्ण हो गया।
- इससे राजनीतिक और कानूनी विवाद उत्पन्न हो गए हैं, जिसके चलते केरल ने भारत के उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। राज्य का तर्क है कि NBC भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत प्रदत्त समेकित निधि की सुरक्षा और गारंटी पर उधार लेने की उसकी कार्यकारी शक्ति का अतिक्रमण करता है।

शुद्ध उधार सीमा (NBC) के बारे में

- यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की उधार लेने की क्षमता को विनियमित करने के लिए लगाया गया एक राजकोषीय नीति उपकरण है।
 - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, NBC को प्रत्येक राज्य के अनुमानित GSDP के 3% पर सेट किया गया है। यह सीमा वित्तीय संस्थानों से ऋण, खुले बाजार से उधार और राज्यों के सार्वजनिक खातों से देनदारियों सहित सभी प्रकार के उधार को शामिल करती है।
- इसके अतिरिक्त, उधार लेने की सीमा को दरकिनार करने से रोकने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा उधार को कवर करने के लिए सीमा को बढ़ाया गया है।
- NBC का उद्देश्य राज्यों के बीच राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करना है, लेकिन इसने राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता और विकासात्मक एवं कल्याणकारी गतिविधियों में निवेश करने की उनकी क्षमता पर इसके प्रभाव के बारे में परिचर्चा भी शुरू कर दी है।

संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के भाग XII का अध्याय II केंद्र और राज्यों की उधार लेने की शक्तियों से संबंधित है।

केंद्र की उधार लेने की शक्तियां (अनुच्छेद 292)

- केंद्र सरकार भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर धन उधार ले सकती है।
- उधार की सीमा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन है।

राज्यों की उधार लेने की शक्तियाँ (अनुच्छेद 293)

- राज्य सरकारें राज्य की संचित निधि की सुरक्षा पर भारत के अंदर उधार ले सकती हैं।
- राज्यों के लिए उधार लेने की सीमा उनके संबंधित विधानमंडलों द्वारा निर्धारित की जा सकती है।
- हालाँकि, अनुच्छेद 293(3) राज्य सरकारों पर प्रतिबंध लगाता है यदि उनके पास केंद्र सरकार से बकाया ऋण या गारंटी है। केंद्र ऐसी उधार सहमति पर शर्तें लगा सकता है।

NBC के पक्ष में तर्क

- **राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करना:** NBC को राज्यों को ऋण के असंतुलित स्तरों को जमा करने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो वित्तीय अस्थिरता का कारण बन सकता है।
 - उधार सीमा को सीमित करके, केंद्र सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य राजकोषीय अनुशासन बनाए रखें और अत्यधिक उधार लेने से बचें।
- **उधार लेने में पारदर्शिता:** NBC में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा ऑफ-बजट उधार सहित सभी प्रकार के उधार शामिल हैं।
 - इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और राज्यों को अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से उधार सीमा को दरकिनारा करने से रोकना है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी देनदारियों का हिसाब रखा जाए, जिससे राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की स्पष्ट तस्वीर मिलती है।
- **मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता:** राज्य ऋण के उच्च स्तर के प्रतिकूल मैक्रोइकॉनॉमिक परिणाम हो सकते हैं, जैसे देश की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग को कम करना।
 - राज्य उधार को नियंत्रित करके, NBC मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता बनाए रखने में सहायता करता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को उच्च ऋण स्तरों से जुड़े संभावित जोखिमों से बचाता है।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम का अनुपालन:** NBC FRBM अधिनियम के सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य जिम्मेदार राजकोषीय प्रबंधन और सार्वजनिक वित्त की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना है।
 - यह सीमा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय की गई है और इसमें राज्यों को बिजली क्षेत्र में सुधार और अन्य राजकोषीय उपायों को लागू करने के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।
- **संसाधनों का न्यायसंगत वितरण:** राज्य उधार को विनियमित करके, NBC राज्यों में वित्तीय संसाधनों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करता है।
 - यह वित्तीय रूप से मजबूत राज्यों को कमजोर राज्यों की कीमत पर अत्यधिक उधार लेने से रोकता है, जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है।

NBC के विरुद्ध तर्क

- **राजकोषीय स्वायत्तता का क्षरण:** आलोचकों का तर्क है कि NBC राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता को कमजोर करता है, जो संघवाद का एक मूलभूत पहलू है।
 - केरल जैसे राज्यों ने तर्क दिया है कि यह सीमा उनके वित्त को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने और अपनी अद्वितीय आर्थिक स्थितियों के आधार पर निर्णय लेने की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित करती है।
- **विकासात्मक गतिविधियों पर प्रभाव:** उधार सीमा की आलोचना राज्यों की विकासात्मक और कल्याणकारी गतिविधियों में निवेश करने की क्षमता को बाधित करने के लिए की गई है।
 - राज्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सामाजिक कार्यक्रमों और अन्य पहलों को निधि देने के लिए उधार पर निर्भर हैं जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं और सार्वजनिक कल्याण में सुधार करते हैं।
- **कानूनी और संवैधानिक चिंताएँ:** NBC ने संविधान के अनुच्छेद 293 की व्याख्या के बारे में कानूनी प्रश्न उठाए हैं, जो राज्यों की उधार लेने की शक्तियों को नियंत्रित करता है।
 - राज्यों का तर्क है कि केंद्र सरकार द्वारा उधार लेने की सीमाएँ लगाना उनके संवैधानिक अधिकारों और कार्यकारी शक्तियों का अतिक्रमण करता है।

- **राजनीतिक तनाव:** NBC ने केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। राज्यों का मानना है कि उधार लेने की सीमा केंद्र सरकार द्वारा किया गया अतिक्रमण है, जिसके कारण संघर्ष और कानूनी लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे कि केरल द्वारा उच्चतम न्यायालय में लाया गया मामला।
- **आर्थिक असमानताएँ:** इस बात की चिंता है कि NBC विभिन्न राज्यों की परिवर्तित आर्थिक स्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखता है।
 - एक समान उधार लेने की सीमा उच्च विकासात्मक आवश्यकताओं वाले या आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे राज्यों को असमान रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ सकती हैं।

आगे की राह

- **संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा:** राज्यों की उधार लेने की शक्तियों और इन शक्तियों को विनियमित करने में केंद्र की भूमिका पर स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 293 की समीक्षा करने तथा संभवतः इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है।
- **सहयोगी ढांचा:** एक सहयोगात्मक ढांचा स्थापित करना जहां केंद्र और राज्य दोनों उधार लेने की सीमाओं एवं राजकोषीय नीतियों पर चर्चा तथा बातचीत कर सकें। इससे विभिन्न राज्यों के सामने आने वाली अद्वितीय वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने में सहायता मिल सकती है।
- **न्यायिक स्पष्टता:** अनुच्छेद 293 की व्याख्या पर न्यायिक स्पष्टता की मांग करने से अस्पष्टताओं को हल करने में सहायता मिल सकती है और यह सुनिश्चित हो सकता है कि केंद्र एवं राज्य दोनों अपनी संवैधानिक सीमाओं के अंदर कार्य करें।
- **आवधिक समीक्षा और समायोजन:** आर्थिक स्थितियों और विकासात्मक प्राथमिकताओं के आधार पर NBC की आवधिक समीक्षा एवं समायोजन के लिए एक प्रणाली को लागू करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि उधार लेने की सीमाएँ प्रासंगिक और प्रभावी बनी रहें।
- अन्य प्रमुख सुझाव हैं जैसे वित्तीय डेटा का पारदर्शी साझाकरण; उधार लेने में लचीलापन; राज्यों के लिए राजकोषीय जिम्मेदारी और स्वायत्तता को मजबूत करना आदि।

निष्कर्ष

- केंद्र सरकार द्वारा शुद्ध उधार सीमा लागू करने से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता और भारत के संघीय ढांचे पर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे।
- चूंकि उच्चतम न्यायालय केरल की चुनौती की समीक्षा कर रहा है, इसलिए इसका परिणाम केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों की भविष्य की गतिशीलता और भारत में राजकोषीय संघवाद के व्यापक ढांचे को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा।

Source: TH



दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राज्यों पर लगाई गई 'शुद्ध उधार सीमा' के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। मूल्यांकन करें कि यह सीमा राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता और विकास व्यय करने की उनकी क्षमता में किस सीमा तक बाधा डालती है।